दिनांक 01.11.2014 को गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा जिला हरिद्वार, के अर्न्तगत बंजारावाला में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आहूत लोकसुनवाई का कार्यवृत्त

गढ़वाल मंडल विकास निगम, द्वारा जिला हरिद्वार के अर्न्तगत बंजारावाला क्षेत्र में उपखनिज चुगान संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। उक्त प्रस्ताव पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय भारत सरकार की पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना–2006 के अन्तर्गत आच्छादित है। लोक परामर्श हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में दिनाकं 02.10.14 को प्रकाशित की गयी थी। जिलाधिकारी, हरिद्वार द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (वित्त) की अध्यक्षता में राजकीय प्राथमिक विधालय बंजारावाला में लोक सुनवाई आयोजित की गयी । लोक सुनवाई की उपस्थिति संलग्नानुसार रही।

अध्यक्ष महोदया की अनुमति द्वारा दिनांक 01.11.14 को लोक सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। इस अनुक्रम में परामर्शी संस्था ग्रास रूट्स रिसर्च एण्ड किएसन इण्डिया प्रा0लि0, नोएडा द्वारा परियोजना की पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा प्रबन्धन योजना कर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:–

- इस परियोजना का प्रमुख उद्देश्य नदी से उपखनिजों का संग्रहण किया जाना है, जिसका उपयोग विभिन्न निर्माण कार्यो में किया जायेगा। प्रस्तावित नदी स्थल हरिद्वार जिले के, बंजारावाला क्षेत्र में सुखराव व मोहनराव नदी पर स्थित है एवं आरक्षित वन क्षेत्र हरिद्वार वन विभाग के अर्न्तगत नही है।
- परियोजना क्षेत्र भूकम्प जोन 4 के अन्तर्गत आच्छादित है। कार्य क्षेत्र में कोई पुरात्तविक स्मारक एवं रक्षा प्रतिष्ठान नही है।
- प्रस्तावित खनन /चुगान में गंगा नदी में 51.02 हेक्टेअर क्षेत्रफल से 3.94 लाख टन खनिज प्रतिवर्ष (खनन) चुगान निष्कर्षण हेतु है। इस परियोजना में नदी के तटों से 15% भाग और नदी जल से 12 मीटर सुरक्षित दूरी छोडकर खनन किया जायेगा। खनन की कुल गहराई 1.5 मीटर तक सीमित होगी तथा खनन पूर्ण रूप से मैन्यूएल व वैज्ञानिक तरीके से किया जायेगा। प्रस्तावित आपेक्षित खनन अवधि 5 साल की होगी, और वर्ष के नौ महिनो में खनन का कार्य किया जायेगा।
- प्रस्तुतिकरण के समय पर्यावरण मूल्यांकन प्रभाव रिपोर्ट में प्रदर्शित जल/वायु/ध्वनि इत्यादि के एकत्रित नमूनो के परिणामों को भी दिखाया गया जो कि मानको के अनुरूप बताये गये। परियोजना स्थल पर कोई विस्फोटक सामग्री का प्रयोग नही किया जायेगा। गढ़वाल मंडल विकास निगम के सीमांकन के पश्चात मैन्यूअल तरीके से ही खनन किया जायेगा। ट्रको एवं वाहनो के चलने से होने वाले ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम हेतु वाहनों के रखरखाव, यातायात प्रबन्धन, ध्वनि का अनुश्रवण तथा पीयूसी प्रमाणित वाहनो का ही प्रयोग किया जायेगा। धूलकणो की रोकथाम हेतु कार्यस्थल एवं सडको पर पानी छिडकाव किया जायेगा। कार्यरत कार्मिको को समस्त सुरक्षा उपकरण उपलब्ध करायें जायेंगे तथा परियोजना मे पर्यावरण प्रबन्धन हेतु रू0 4.64 लाख का बजट प्रस्तावित है।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय को उनके सूझाव एवं आपत्तियों हेतु आमंत्रित किया गया तथा जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सूझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. श्री चौहान ग्राम बंजारावाला द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिये व यथाशीघ्र खुलना चाहिये। श्री राधेश्याम एवं श्री मुकेश कुमार सैनी, बंजारेवाला द्वारा भी बताया गया कि खनन खुलने से रोजगार मिलेगा। खनन ही इस क्षेत्र में जीवीकोपार्जन का एकमात्र साधन है।

2. श्री भगत सिंह एवं श्री विरेन्द्र पाल ग्राम बंजारावाला द्वारा बताया गया कि गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा जो भी खनन पट्टा दिया जाये उसमें ट्रैक्टरों से ही रॉयल्टी ली जाये। खनन हेतु स्थानीय लोगों को एवं इनके संसाधनों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये।

3. श्री संजय चौहान, ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा खनन होने से आस–पास के क्षेत्रों में/ ग्रामों में जीवीकोपार्जन के साधन बढेंगें। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि उक्त खनन प्रकिया में 25 प्रतिशत की भागीदारी ग्रामसभा की होनी चाहिये। इस पर गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा बताया गया कि खनन हेतु उत्तराखण्ड खनन निति का पालन किया जायेगा। इस परियोजना में आधारभूत ढॉचागत सुविधाओं के विकास हेतु रू0 4.64 लाख का बजट रखा गया है।

4. श्री सेवाराम द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि खनन में स्थानीय किसानों की जमीनों का ध्यान रखा जाना चाहिये। खनन में उनकी जमीनों का कटाव हो जाता है उसका मुआवजा भी नही मिलता है। इस पर परियोजना प्रबन्धन द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में पर्यावरण दल का गठन किया जायेगा जिसका दायित्व अनुश्रवण का होगा। यदि जमीन का कटाव हो रहा है तो उसके बारे में मौके पर उपस्थित गढवाल मंडल विकास निगम के पदाधिकारियों को अवगत कराया जाये जिस पर त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

5. श्री सुरेन्द्र ग्राम बंजारेवाला द्वारा खनन के पक्ष में अपनी बात रखते हुये कहा गया कि पूर्व में नदियों में खनन होने से वर्तमान में स्थानीय ग्रामों में जल भराव की समस्या नही है। अतः खनन खुलना चाहिये।

6. श्री गोपाल सिंह द्वारा बताया गया कि इस क्षेत्र में खनन का आर्थिकी में मुख्य योगदान है। खनन होने से बाढ की समस्या नही है। अतः वैज्ञानिक तरीके से खनन होना चाहिये। पूर्व में बिल्लीघाट में नदी का पानी आने से फसलें खराब हुयी थी जिसकी शिकायत पर वर्तमान तक कोई भी मुआवजा नही मिला है। खनन में स्थानीय लोगों व उनके वाहनों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये एवं उन पर ही रॉयल्टी होनी चाहिये। इसके साथ/साथ किसानों के नदी से होकर जाने वाले रास्ते भी खनन से मुक्त होने चाहिये।

7. श्री रामकुमार गुप्ता, बंजारेवाला द्वारा कहा गया कि गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा खनन का निजिकरण नही किया जाना चाहिये। इसे निगम स्वयं ही चलाये। इस पर गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा बताया गया कि शासन की निति के अनुसार ही प्रकरण पर कार्यवाही की जायेगी।

8. श्री सुरेशचन्द द्वारा जंगल की सीमाओं पर भी खनन प्रारम्भ करने की बात कही गयी तथा खनन जल्द से जल्द खोलने हेतु अपना पक्ष रखा गया।

प्रस्तुतीकरण के बाद परियोजना के सम्बन्ध में जन समुदाय को उनके सूझाव एवं आपत्तियों हेतु आमंत्रित किया गया तथा जन समुदाय द्वारा प्रस्तुत सूझावों एवं आपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है–

1. श्री चौहान ग्राम बंजारावाला द्वारा सुझाव दिया गया कि खनन वैज्ञानिक तरीके से होना चाहिये व यथाशीघ्र खुलना चाहिये। श्री राधेश्याम एवं श्री मुकेश कुमार सैनी, बंजारेवाला द्वारा भी बताया गया कि खनन खुलने से रोजगार मिलेगा। खनन ही इस क्षेत्र में जीवीकोपार्जन का एकमात्र साधन है।

2. श्री भगत सिंह एवं श्री विरेन्द्र पाल ग्राम बंजारावाला द्वारा बताया गया कि गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा जो भी खनन पट्टा दिया जाये उसमें ट्रैक्टरों से ही रॉयल्टी ली जाये। खनन हेतु स्थानीय लोगों को एवं इनके संसाधनों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये।

3. श्री संजय चौहान, ग्राम प्रधान द्वारा बताया गया कि गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा खनन होने से आस–पास के क्षेत्रों में/ ग्रामों में जीवीकोपार्जन के साधन बढेंगें। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि उक्त खनन प्रकिया में 25 प्रतिशत की भागीदारी ग्रामसभा की होनी चाहिये। इस पर गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा बताया गया कि खनन हेतु उत्तराखण्ड खनन निति का पालन किया जायेगा। इस परियोजना में आधारभूत ढॉचागत सुविधाओं के विकास हेतु रू0 4.64 लाख का बजट रखा गया है।

4. श्री सेवाराम द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि खनन में स्थानीय किसानों की जमीनों का ध्यान रखा जाना चाहिये। खनन में उनकी जमीनों का कटाव हो जाता है उसका मुआवजा भी नही मिलता है। इस पर परियोजना प्रबन्धन द्वारा बताया गया कि क्षेत्र में पर्यावरण दल का गठन किया जायेगा जिसका दायित्व अनुश्रवण का होगा। यदि जमीन का कटाव हो रहा है तो उसके बारे में मौके पर उपस्थित गढवाल मंडल विकास निगम के पदाधिकारियों को अवगत कराया जाये जिस पर त्वरित कार्यवाही की जायेगी।

5. श्री सुरेन्द्र ग्राम बंजारेवाला द्वारा खनन के पक्ष में अपनी बात रखते हुये कहा गया कि पूर्व में नदियों में खनन होने से वर्तमान में स्थानीय ग्रामों में जल भराव की समस्या नही है। अतः खनन खुलना चाहिये।

6. श्री गोपाल सिंह द्वारा बताया गया कि इस क्षेत्र में खनन का आर्थिकी में मुख्य योगदान है। खनन होने से बाढ की समस्या नही है। अतः वैज्ञानिक तरीके से खनन होना चाहिये। पूर्व में बिल्लीघाट में नदी का पानी आने से फसलें खराब हुयी थी जिसकी शिकायत पर वर्तमान तक कोई भी मुआवजा नही मिला है। खनन में स्थानीय लोगों व उनके वाहनों को प्राथमिकता मिलनी चाहिये एवं उन पर ही रॉयल्टी होनी चाहिये। इसके साथ7साथ किसानों के नदी से होकर जाने वाले रास्ते भी खनन से मुक्त होने चाहिये।

7. श्री रामकुमार गुप्ता, बंजारेवाला द्वारा कहा गया कि गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा खनन का निजिकरण नही किया जाना चाहिये। इसे निगम स्वयं ही चलाये। इस पर गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा बताया गया कि शासन की निति के अनुसार ही प्रकरण पर कार्यवाही की जायेगी।

8. श्री सुरेशचन्द द्वारा जंगल की सीमाओं पर भी खनन प्रारम्भ करने की बात कही गयी तथा खनन जल्द से जल्द खोलने हेतु अपना पक्ष रखा गया।

इसके उपरान्त अध्यक्ष महोदया द्वारा मत विभाजन की कार्यवाही कराई गयी एवं कहा गया कि जो भी व्यक्ति गंढवाल मंडल विकास निगम द्वारा बंजारावाला क्षेत्र में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण के विरोध में हैं वह अपने–अपने हाथ उठाये इस पर सभा में उपस्थित किसी भी व्यक्ति द्वारा खनन के विरोध में मतदान नही किया गया। पुनः यह उच्चारण किया गया कि जो व्यक्ति गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा प्रस्तावित खनन का समर्थन करते है वह अपने–अपने हाथ उठाये इस पर सुनवाई के समय सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों द्वारा हाथ उठाकर खनन के पक्ष में मतदान किया गया।

अतः उपरोक्त मत विभाजन की कार्यवही के अनुक्रम में वैज्ञानिक तरीके से बंजारावाला क्षेत्र से गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा उप खनिज चुगान की सहमति दर्ज करते हुये कार्यवृत्त को जन समुदाय को पढकर सुनाया गया तथा पुरी प्रकिया की विडियो रिर्काडिंग भी कराई गयी। अन्त में अध्यक्ष महोदया के धन्यवाद के साथ लोक सुनवाई का समापन किया गया।

एम0डी0 ढौंडियाल
समन्वयक, गंढवाल मंडल
विकास निगम, हरिद्वार

डॉ0 अंकुर कंसल
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूडकी

रवनीत चीमा
अपर जिलाधिकारी (वित्त)
जिला हरिद्वार

Reg. No.125/20225D

9458122517
9758115875

भ्रष्टाचार निवारक समिति

मोबीन हसन
अध्यक्ष (श्रम प्रकोष्ट, हरिद्वार)

पता:-
ग्राम तेलपुरा, पोस्ट बिहारीगढ़
जिला हरिद्वार (उत्तराखण्ड)

पत्रांक ....

दिनांक 1-11-2014

सेवा में,
श्रीमान अध्यक्ष महोदय गढ़वाल मण्डल विकास निगम उत्तराखण्ड

<u>विषय</u>- ग्राम बनजारेवाला व आस-पास के क्षेत्र में खनन सम्बन्धी सूचना —

महोदय गढ़वाल मण्डल विकास निगम ग्राम बनजारेवाला व आस-पास, ब्लाक भगवानपुर तहसील रुड़की (हरिद्वार में) में जिम्मेदारी की ओर से खनन खुलवाना चाहता है। जिसमें आज दिनांक 1-11-14 को सार्वजनिक सभा ग्राम बनजारेवाला में हुई। जिसमें निम्न बिन्दुवार तथ्यों का अवलोकन किया जाना आवश्यक है। जिससे राजस्व की चोरी से रोका जा सके —

1- रॉयल्टी कच्चा माल देने वाले की हो या पक्के माल पर आधारित हो

2- रॉयल्टी की निगरानी के लिए उचित व्यवस्था की जाए

3- किसी स्वामी का कोई भी वाहन खनन क्षेत्र में खनन नहीं करेगा

4- जिस स्थान पर मानक के अनुसार से अधिक खनन किया हुआ है। वहाँ पर खनन प्रतिबन्धित हो।

5- यहाँ पर खनन की अनुमति न हो, क्योंकि यहाँ माफिया द्वारा मानक से कहीं अधिक खनन करवाते हैं। जिससे स्थानीय निवासियों को रोजगार नहीं मिलता।

अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि खनन खुलवाने से पूर्व उपरोक्त तथ्यों का अवलोकन करने की कृपा करें।

सुलतान अहमद
श्रम प्रकोष्ठ उपाध्यक्ष
हरिद्वार अध्यक्ष
बनजारेवाला

मोबीन हसन
(श्रम प्रकोष्ठ)
निवारक समिति
(उत्तराखण्ड)
1-11-2014

लेखक —
सुरेशचन्द. भ्रष्टाचार निवारक
समिति सदस्य हरिद्वार
ह. 1-11-14

सेवा में,
अपर जिलाधिकारी / प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / ग०म० विकास निगम

महोदय,

निवेदन यह है कि दिनांक 01-11-2014 को ग्राम-बनजारेवाला में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा लोक सुनवाई का आयोजन किया गया है।

उक्त सन्दर्भ में अवगत कराना है कि ग्राम-बनजारेवाला में सोहन्द नदी के किनारे छः स्टोन क्रेशर स्थापित हैं इन सभी स्टोन क्रेशर के स्वामीयों ने कच्चा माल ढोने के लिए अपने-2 ट्रैक्टर ट्रालियां रखी हैं ऐसे में स्थानीय लोगो के ट्रैक्टर ट्रालियो एवं घोड़ा बुग्गी वालो को कोई आवश्यकता नही रहती है बल्कि रोजगार मिलने के समाप्त हो जाता है।

न०-2 गढ़वाल मण्डल विकास निगम की सह रायल्टी स्टोन क्रेशर स्वामी नही होने चाहिए बल्कि ट्रैक्टर मालिक की होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का राजस्व का नुकसान न हो।

अस्तु निवेदन है स्टोन क्रेशर स्वामियो को निर्देश देने का कष्ट करे कि कच्चा माल ढोने के लिए अपने ट्रैक्टर ट्रालियो का प्रयोग न करे एवं कच्चा माल की रायल्टी ट्रैक्टर वाले की होनी चाहिए।

अतः खनन खोलने मे कोई आपत्ति नही है।

विपिन कुमार
प्रार्थी
ग्रामवासी
बनजारेवाला

रमेश चन्द्र पाल
विरेन्द्र पाल

प्रमोद पाल
राजेन्द्र पाल
रमेश चन्द्र
भानु पाल

[illegible] प्रधान
ग्राम प० बनजारेवाला ग्रन्ट,
वि०ख०–भगवानपुर (हरिद्वार)

धर्मेन्द्र 2014

दिनांक 01.11.2014 को गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा जिला हरिद्वार, के अर्न्तगत बंजारावाला नदी में उपखनिज चुगान एवं संग्रहण हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए आहूत लोकसुनवाई मे उपस्थिति।

क्रम स.	नाम	हस्ताक्षर
1	नवनीत चीमा, अपर जिलाधिकारी हरि.	[illegible]
2	डा. अंकुर कंसल, क्षे. अ., प्र. नि. बो., रुड़की	[illegible]
3	राकेश कठारी, सहा. पर्या. अभि., प्र. नि. बो.	[illegible]
4	एस० डी० डोंडियाल समन्वयक GMVN	[illegible]
5	विवेक कुमार Asst. manager - GRC Pvt.	[illegible]
6	शहनाज मलिक Asst. Manager GRC Noida	[illegible]
7	सहदेव सिंह	सहदेव सिंह
8	[illegible]	[illegible]
9	अब्दुल सत्तार अंसारी	[illegible]
10	[illegible] पाण्डेय	[illegible]
11	राधेश्याम	राधेश्याम
12	शौकीराम	शौकीराम
13	अंजय चौहान [illegible] क्षेत्र पंचायत सदस्य	अंजय चौहान
14	स्वराज सिंह	व स्वराज सिंह वनगरिया [illegible]
15	Bhagat Singh	[illegible]
16	रमेश चन्द्र पाल	[illegible]
17	रामकुमार गुप्ता	[illegible]

7

क्रम स.	नाम	हस्ताक्षर
18	श्रवण कुमार	श्रवणकुमार
~~19~~	[illegible]	[illegible]
२०	वीरेन्द्रपाल	[illegible]
२१	मेहराज	Mehraj
२२	रियाकत	रियाकत
२३	आनल	आनल
२४	रेवरान	रेवरान
25	सुशील	Susil
२6	अंकित	अंकित
२7	आनंतर	आनन्त
२8	शीशपाल	शीशपाल
२9	शीशपाल	शीशपाल
30	इमरान	इमरान
31	कुरबुनपाल	कुरबुनपाल
32	विपिन कुमार	विपिन कुमार
33	श्रवण कुमार	श्रवण कुमार
34	Parveen	Parveen
35	सुनील कुमार	सुनील कुमार
36	Rajesh Kumar	Raj[illegible]
37	सोनी कुमार	[illegible]

क्रम स.	नाम	हस्ताक्षर
38	जोनी कुमार	जोनी कुमार
39	Pirtam Singh	Pirtam Singh
40	जयपाल	जयपाल
41	Farhat	Farhat
42	Ashu Chauhan	[illegible]
43	Pankaj Kumar	[illegible]
44	MANISH CHAUHAN	Manish
45	Anjay chauhan	[illegible]
46	Piyush Kumar	[illegible]
47	मोनारोम	मोनारोम
48	रविन्द्र	रविन्द्र
49	Arjun	Arjun
50	सोनी कुमारी	सोनी कुमारी
51	सुरत सिंह	सुरत सिंह
52	Mohan.	गोपाल लाल
53	गोपाल	गोपाल लाल
54	पहलाद सिंह	पहलाद सिंह
55	राजेन्द्र पाल	राजेन्द्र पाल
56	राजेन्द्र सिंह	राजेन्द्र सिंह
57	मिथुन	मिथुन [illegible]

क्र.सं.	नाम	हस्ताक्षर
58	इरफान	इरफान
59	सुरेन्द्र सैनी	सुरेन्द्र सैनी
60	नाथी राम	नाथी राम
61	Amit	Amit Kumar
62	दानिश	दानिश
63	शाकिर	शाकिर
64	राजेश पाल	राजेश पाल
65	प्रदीप कुमार	प्रदीप कुमार
66	गोपाल सिंह	गोपाल सिंह
67	Mustafa	Am
68	मो० इमरान	मो० इमरान
69	संदीप कुमार	संदीप कुमार
70	सुखपाल	सुखपाल
71	सतीश	सतीश
72		
73		